

सी.सी.ए. वाद सं.- 159/2018-19 वर्ष 18-19

धारा-3(1)(a), 3(1)(b)(1)

अपीलकर्ता/प्रोप0/आवदेक- राज्य  
Appellant/F.P/Petitioner

प्रतिवादी/द्वि0प0/विपक्षी:- बजरंग चौधरी  
Respondent/S.P/O.P-

U/S 03 of C.C.Act. 2002(Adopted)

थाना में प्रत्येक दिन उपस्थिति हेतु।

आदेश क्रमांक/तिथि Order No./Date	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date.
<p>01 28.05.2018</p>	<p>वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 849/डी.सी.बी. दिनांक-15.05.2018 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी बजरंग चौधरी, पे.- स्व० फकीरालाल चौधरी, सा०-हरमु रोड किशोरगंज नियर होण्डा शोरूम, थाना-सुखदेवनगर, जिला-राँची के विरुद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की संबंधित धाराओं के तहत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तदनुसार झारखण्ड अपराध अधिनियम 2002(अंगीकृत) की धारा-3(1)(a), 3(1)(b)(1) के प्रावधानों के तहत अपराधकर्मी बजरंग चौधरी, पे.-स्व० फकीरालाल चौधरी, सा०-हरमु रोड किशोरगंज नियर होण्डा शोरूम, थाना-सुखदेवनगर, जिला-राँची को नोटिस निर्गत करें। दिनांक 11.07.2018 को रखें।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> जिला दण्डाधिकारी, राँची।</p>	<p style="text-align: right;">S.S.P 95601 4.6.18</p>
<p>02 11.07.18</p>	<p>नॉटिस का तारीख प्रतिवेदन हाण्डल/उपायुक्त अ०प कार्ड में अरब के 3.2.18</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> जिला दण्डाधिकारी, राँची।</p>	<p style="text-align: right;">Received by S.S.P 11/7/18</p>
<p>03 3/8/18</p>	<p>नॉटिस का तारीख प्रतिवेदन हाण्डल/उपायुक्त अ०प कार्ड में अरब है। अभिलेख दिनांक 25.9.18 को रखें।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i> जिला दण्डाधिकारी, राँची।</p>	<p style="text-align: right;">Received by S.S.P 11/8/18</p>

आदेश क्रमांक/तिथि  
Order No./Date

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
Order and Signature of Officer

आदेश की गयी  
कार्रवाई तिथि  
सहित  
Action taken on  
order with date.

04  
26.9.18

नॉर्मि का तामीला प्रतिवेदन आधार  
अभिपुत्र की ओर से कार्या-पुत्र  
कार्यकाय विभागा है। अपुत्र -  
मानव्य अपराधित के संघी अगमन  
के कार्यक्रम में वस्त है

12.12.18

05  
12.12.18

अभिपुत्र की ओर से अपरिस्थित  
नही की गई है। अथः अकारणनमा के  
साथ अपरिस्थित की गई है। अपुत्र

16.11.19

06  
16.11.19

अभिपुत्र की ओर से अपरिस्थित  
नही की गई है। अपुत्र अकारणनमा के

15.2.19



07  
15.2.19

अभिपुत्र की ओर से अपरिस्थित  
अपरिस्थित की गई है। अपुत्र अकारणनमा  
में वस्त है

10.4.19

08  
10.4.19

अभिपुत्र की ओर से अपरिस्थित

देश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	<p>वी. गि. है। आपुत्र<sup>2</sup> लोक. म. म. यु. न. ल. के का. में निर्वाची पदा. के स्थ. में का. में कर. रहे के कारण - यथा. का. का. नहीं हो सका।</p> <p>19.6.19                        उपसभा. के</p>	3
<p>09 19.6.19</p>	<p>अभिपुत्र<sup>2</sup> वी. डी. ले. अ. लि. की गई है। आपुत्र योग. दि. के कार्यक्रम में कर. है। 7-8-19</p> <p>                       उपसभा. के</p>	
<p>10 7.8.19</p>	<p>अभिपुत्र की डी. ले. अ. लि. नहीं की गई है।</p> <p>theft case was registered against petitioner. It does not fall under CCA definition of threat to public order.                      Case dismissed                      Rayne</p>	